

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-22प/स्था०/०८/२०१७/

दिनांक 22 जून, 2026

-:आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026-27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जनित रोग नियंत्रण (मलेरिया) संवर्ग में जिला जनित रोग नियंत्रण अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके द्वारा किये गये अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर निजी अनुरोध के आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री इन्द्रपाल सिंह	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार (कुम्भ मेला-2027 का भी कार्य देखेंगे)

उपरोक्त निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। तदनुसार सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए नवीन तैनात के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।
उक्तदिनांक

पत्र सं०-22प/स्था०/०८/२०१७/

20697

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 4- कुम्भ मेला अधिकारी-2027, चिकित्सा स्वास्थ्य, हरिद्वार।
- 5- संबंधित कार्मिक।
- 6- संबंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 7- नोडल अधिकारी, आई०टी०प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8- गार्ड फाईल।

OA (IT)
ok

Signature
08/06/2026

(शिखा जंगपांगी)
निदेशक(चि०स्था०)